

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE - EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

No.F.14(4)/LA-2002/ 3 / 3

Dated 28.03.2002

The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 28th March, 2002 and is hereby published for general information:-

THE APPROPRIATION (NO.1) ACT, 2002
(Delhi Act No. 7 of 2002)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN

ACT

To Authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2001-2002.

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the 53rd year of the Republic of India as follows:-

SHORT TITLE

1. This Act may be called the Appropriation (No.1) Act 2002

ISSUE OF

Rs. 2210,91,80,000/-
from and out of the
Consolidated Fund of the
National Capital Territory
of Delhi for the financial
year 2001-2002

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees two thousand two hundred ten crores ninety one lakhs and eighty thousand towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2001-2002 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

APPROPRIATION

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

(Rs. in thousands)

SUMS NOT EXCEEDING

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		3	4	5
1	2			
2	General Administration	Revenue	100	0 100
		Capital	390000	0 390000
3	Administration of Justice	Revenue	0	8050 9060
4	Finance	Revenue	0	3724 3724
5	Home	Revenue	71645	4247 75892
6	Education	Revenue	600	1043 1643
7	Medical and Public Health	Revenue	29646	0 29646
8	Social Welfare	Revenue	800	5 805
		Capital	200	0 200
9	Industries	Revenue	400	500 900
10	Development	Revenue	200	15 215
		Capital	300	0 300
11	Urban Development and Public Works	Revenue	9928895	0 9928895
	Public Debt.	Capital	9215636	210000 9425636
		Revenue	0	157159 157159
		Capital	0	2085005 2085005
Total		19638422	2470758	22109180


(Roshan Lal)
Under Secretary (Legislative Affairs)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग 4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

क.सं. एफ. 14/4/विधायी कार्य-2002/3/3

दिनांक 28.3.2002

उपराज्यपाल, दिल्ली को दिनांक 28 मार्च, 2002 को मिली अनुमति के पश्चात विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:-

विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2002

(दिल्ली अधिनियम संख्या: 7, 2002)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित)

अधिनियम

वर्ष 2001-2002 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए विधेयक।

इसे भारतीय संविधान के 53 वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

संक्षिप्त शीर्षक

(1) इस अधिनियम को विनियोग (संख्या-1) अधिनियम 2002 कहा जाए।

2210,91,80,000/- रुपयों का (2) वर्ष 2001-2002 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए बाइस सौ दस करोड़ इक्यानवें लाख अस्सी हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2001-2002 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन

(3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(खण्ड 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

राशी इससे अधिक नहीं

मांग संख्या	सेवायें एवं उददेश्य	विधान सभा द्वारा संचित निधी पर			जोड़
		स्वीकृत	भारित	3	
1	2				5
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	390000	0	390000
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	0	9060	9060
4	वित्त	राजस्व	0	3724	3724
5	गृह	राजस्व	71645	4247	75892
6	शिक्षा	राजस्व	600	1043	1643
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व	29646	0	29646
8	समाज कल्याण	राजस्व	800	5	805
		पूँजी	200	0	200
9	उद्योग	राजस्व	400	500	900
10	विकास	राजस्व	200	15	215
		पूँजी	300	0	300
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	9928895	0	9928895
		पूँजी	9215636	210000	9425636
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	157159	157159
		पूँजी	0	2085005	2085005
जोड़			19638422	2470758	22109180


(रोशन लाल)

अवर सचिव(विधि एवं न्याय)